कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्यकार्यालय/ HEAD OFFICE
एन.बी.सी.सी सेंटर, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4th फ्लोर, ईस्ट किदवई नगर, नईदिल्ली -110023
NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4th Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या ए-12011/13/2024-ईपीएफओ-मुख्यालय/आरसी/667 दिनांक: 30.09.2025

सेवा में,

द्वितीय प्रतीक्षा सूची के सभी चयनित उम्मीदवार
(संदर्भ: दिनांक 26/09/2025 के कार्यालय आदेश ए-12011/13/2024-ईपीएफओ - मुख्यालय/आरसी /666)

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ग्रेड वेतन 2800 रुपए के तहत वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 (29,200-92,300 रुपए) सामाजिक सुरक्षा सहायक (सीधी भर्ती) के पद पर नियुक्ति - द्वितीय प्रतीक्षा सूची से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति-पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने के संबंध में

महोदय/महोदया,

सामाजिक सुरक्षा सहायक (एसएसए) सीधी भर्ती परीक्षा हेतु द्वितीय प्रतीक्षा सूची से चयनित 696 उम्मीदवारों की सूची दिनांक 26.09.2025 के उपर्युक्त आदेश द्वारा परिचालित की गई थी। सूची में शामिल उम्मीदवारों की औपचारिक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। सूची में शामिल सभी से उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस पत्र की विषयवस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए निदेशों के अनुसार नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएं पूरी करें।

2. उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूर्णतः अनंतिम है और दस्तावेजों के सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण और अन्य पात्रता मानदंडों के अधीन है। अंतिम योग्यता सूची क्षेत्रवार तैयार की जाएगी जिसका उपयोग वरिष्ठता सूची आदि तैयार करने के लिए किया जाएगा।

3. प्रत्येक चरण के लिए निम्नलिखित अनुदेश सभी उम्मीदवारों के ध्यान में लाए जाते हैं ताकि नियुक्ति प्रक्रिया सुचारू और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।

चरण I: राज्य/क्षेत्रीय कार्यालय आवंटन चयनित उम्मीदवारों को राज्य/क्षेत्र का आवंटन दिनांक 26.09.2025 के उपर्युक्त आदेश के तहत सूचित कर दिया गया है। राज्य/क्षेत्र का आवंटन पूर्णतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों द्वारा

प्रस्तुत वरीयताओं के आधार पर योग्यता-सह-वरीयता के सिद्धांत को लागू करके किया गया है, जो रिक्तियों की उपलब्धता और मौजूदा नियमों के अधीन है। आंचलिक कार्यालय, मुख्यालय द्वारा जारी दिनांक 03.01.2025 के आदेश संख्या भर्ती/परीक्षा.12(1)2025/एसएसए/388 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय आवंटित करेगा।

चरण II- मूल दस्तावेजों का सत्यापन हेतु दस्तावेज और आवश्यक प्रपत्र जमा करने की नियुक्ति-पूर्व औपचारिकताएं

(क) चयनित उम्मीदवारों को राज्यों के आवंटन के आधार पर, उम्मीदवारों की सूची, दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी सहित, संबंधित आंचलिक कार्यालयों को भेजी जा रही है, जहाँ उम्मीदवारों को पहचान, दस्तावेजों के सत्यापन और **अनुलग्नक (नीचे क्रम संख्या vii, viii, ix और x पर और घोषणा पत्र**) भरकर जमा करने के लिए उपस्थित होना होगा। इस संबंध में तिथि और स्थान संबंधित आंचलिक कार्यालय द्वारा उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता, आयु, जाति आदि के समर्थन में मूल दस्तावेजों के साथ नियत तिथि पर संबंधित आंचलिक कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मूल दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:

i. शैक्षिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र और उनकी स्व-सत्यापित प्रतियों का एक सेट।

ii. आयु का मूल प्रमाण पत्र और स्व-सत्यापित प्रतियां।

iii. वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त मूल कार्यमुक्ति आदेश, यदि कोई हो, सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। हालांकि, दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

iv. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में मूल जाति प्रमाण पत्र स्व-सत्यापित प्रति के साथ।

v. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी वर्ष 2022-23 के लिए मान्य जारी मूल आय और संपत्ति प्रमाण पत्र स्व-सत्यापित प्रति के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

vi. पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी मूल विकलांगता प्रमाण पत्र स्व-सत्यापित प्रति के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

vii. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ का मूल प्रपत्र। (**अनुलग्नक-I**, प्रारूप संलग्न)

viii. वैवाहिक स्थिति की घोषणा का मूल प्रपत्र संलग्न प्रपत्र में। (**अनुलग्नक-II**, प्रारूप संलग्न)

ix. सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 21 के अनुसार छूट हेतु आवेदन (**अनुलग्नक-III**, प्रारूप संलग्न), यदि लागू हो।

x. सत्यापन प्रपत्र (**अनुलग्नक-IV** प्रारूप संलग्न)

xi. मूल आधार कार्ड और पैन कार्ड, स्व-सत्यापित प्रति सहित।

xii. एक हालिया पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ।

(ख) मुख्यालय से डोज़ियर प्राप्त होने पर, आंचलिक कार्यालय चयनित उम्मीदवारों को पहचान और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए पूर्व-निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के लिए ई-मेल/स्पीड पोस्ट/एसएमएस/फ़ोन कॉल के माध्यम से सूचना जारी करेगा। इसकी योजना इस प्रकार बनाई जा सकती है कि सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण सुचारू रूप से संपन्न हो।

(ग) उपर्युक्त दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, आंचलिक कार्यालय निम्नलिखित घोषणा पत्र भी प्राप्त करेंगे:

i. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों को घोषणा पत्र देना होगा कि वे पद के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 26.04.2023 तक क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं। [उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला वचन (वचन प्रारूप **अनुलग्नक-V** के रूप में संलग्न)]।

ii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उनके पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का दर्जा था। [उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र (घोषणा पत्र प्रारूप **अनुलग्नक-VI** के रूप में संलग्न)]।

iii. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह बताया गया हो कि उन्होंने किसी भी सिविलियन पद पर पुनर्नियोजन में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ नहीं लिया है।

iv. पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत उम्मीदवार जिन्होंने एनटीए विज्ञापन सं. ए-12024/3/2021-परीक्षा/188 के पैरा 4.2(III) के अनुसार आयु में छूट का दावा किया है, उन्हें **अनुलग्नक VIII** में घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा।

चरण III- नियुक्ति प्रस्ताव जारी करना और स्वीकार करना

मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, आंचलिक कार्यालय उसी दिन उम्मीदवार को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र (**अनुलग्नक IX** में संलग्न प्रारूप) जारी करेंगे और उसकी पावती प्राप्त करेंगे। उम्मीदवार को नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर नियुक्ति प्रस्ताव के **अनुलग्नक X** में अपना स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, उम्मीदवार प्रस्ताव पत्र प्राप्त करते समय ही अपना स्वीकृति पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि उम्मीदवार 7 दिन के भीतर स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो संबंधित आंचलिक कार्यालय द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

चरण IV: चिकित्सा परीक्षण

फॉर्म भरने, जमा करने, दस्तावेजों के सत्यापन और पहचान संबंधी उपर्युक्त औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, उम्मीदवारों को ईपीएफ आंचलिक कार्यालयों से चिकित्सा परीक्षण की औपचारिकताओं को पूरा करने के अनुदेश प्राप्त होंगे। उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण के लिए सूचना में उल्लिखित चिकित्सा अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना होगा।

आंचलिक कार्यालय, सरकारी नियमों के अनुसार, उम्मीदवारों की चिकित्सकीय जांच करने तथा एसएसए पद पर नियुक्ति के लिए उनकी उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा प्राधिकारियों से संपर्क करेगा तथा उम्मीदवारों को रेफर करने की व्यवस्था करेगा। । चिकित्सा जांच के लिए उम्मीदवारों को चिकित्सा प्राधिकारी के पास रेफर करने हेतु एक नमूना पत्र **अनुलग्नक-VII** में संलग्न है।

इसके बाद उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच और उनकी एसएसए के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए उम्मीदवारों को चिकित्सा प्राधिकारियों के पास चिकित्सा परीक्षण के लिए जाने के लिए कहा जाएगा ।

नोटः हालांकि, यदि उम्मीदवार पहले से ही सरकारी सेवा में है, तो नई मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने के बजाय, वे अपने नियंत्रक प्राधिकारी को उक्त पत्र प्रस्तुत कर करेंगे ताकि वे नियुक्ति के समय प्राप्त मेडिकल जांच रिपोर्ट की सत्यापित प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज सकें। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पिछले नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत मेडिकल जांच रिपोर्ट सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी या समकक्ष द्वारा जारी की गई हो।

(*यह शर्त पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक है। यदि उम्मीदवार चाहें, तो वे संबंधित आंचलिक कार्यालयों के निदेशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और नए सिरे से मेडिकल जांच करवा सकते हैं।)

चरण-V: अनंतिम/अंतिम नियुक्ति पत्र जारी करना

मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र, नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद, रोजगार मेला 2025 के माध्यम से अनंतिम पत्र (**अनुलग्नक-XI** के रूप में संलग्न प्रारूप) जारी किए जाएंगे, जिनका विवरण और स्थान संबंधित आंचलिक कार्यालय द्वारा उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा।

4. भूतपूर्व सैनिकों और अन्य चयनित उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन करते समय, आंचलिक कार्यालयों का मुख्यालय के दिनांक 07.11.2024 के परिपत्र संख्या ए-12011/12/2024-ईपीएएफओ/मुख्यालय/आरसी/328 द्वारा जारी निदेशों का पालन करना होगा।

5. अंतिम नियुक्ति आदेश आंचलिक कार्यालय में मानव संसाधन के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, द्वारा संबंधित जिला/पुलिस प्राधिकारियों से चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ- साथ संबंधित जारीकर्ता से प्राधिकारियों जाति, ईडब्लूएस, पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्राप्ति पर जारी किए जाएंगे।

6. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि वे निर्दिष्ट कार्रवाई पूरी करें। उन्हें आगे के अनुदेशों के बारे में उनकी ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

संलग्नः यथोपरि
भवदीय

प रश्मपाल

(पीपीएस मैंगी)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आयुक्त-I, भर्ती प्रभाग